रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239387 CG-DL-E-06102022-239387

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 680] No. 680] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2022/आश्विन 14, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 766(अ).—जैसािक अधिसूचना संख्या सा.का.नि.149 (ई), दिनांक 20 फरवरी, 2017, द्वारा पूरक पोषण (एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत) नियमावली, 2017 को भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पोषण मानक प्रदान करने की दृष्टि से अधिसूचित किया गया था;

और जैसािक भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2021 के अपने आदेश द्वारा "पूरक पोषण के वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के लिए "पोषण ट्रैकर" के माध्यम से खरीद, आयुष अवधारणाओं के एकीकरण और डेटा प्रबंधन और निगरानी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन पर सुव्यवस्थित दिशा-निर्देश विनिर्मित किए गए थे;

और जैसाकि उक्त दिशानिर्देशों के आलोक में, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 28 जून, 2021 के अपने आदेश द्वारा प्रथम पैराग्राफ में निर्दिष्ट नियमों को रद्द कर दिया था;

अतएव, अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 39 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पिठत उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे विच्छेदन से पूर्व किए गए या छोड़े गए कार्यों के संबंध के सिवाय, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला, धात्री माता और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद तक और छह महीने से छह साल की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए निर्दिष्ट अधिकारों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:-

6754 GI/2022 (1)

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन नियमों का नाम एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम-सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण (2.0), नियमावली, 2022 होगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. अनुप्रयोग:- ये नियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की अनुसूची II में निर्दिष्ट पोषण मानकों के अनुसार प्रत्येक गर्भवती महिला एवं धात्री माता और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद तक और छह महीने से छह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे (कुपोषण से पीड़ित सहित) के लिए वर्ष में तीन सौ दिन तक लागू होंगे।
- 3. परिभाषाएं:- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) "अधिनियम" का अर्थ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 है;
 - (ख) "इच्छित लाभार्थी" का अर्थ उन लाभार्थियों से है जो पूरक पोषण प्राप्त करने के लिए आधार पहचान के साथ आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हैं। बाल लाभार्थियों का आधार विवरण अनिवार्य नहीं है और यदि लाभार्थी के पास आधार नहीं है, तो कार्यक्रम का लाभ माता-पिता या अभिभावक के आधार पहचान का उपयोग करके दिया जाएगा;
 - (ग) "केंद्र सरकार" का अर्थ भारत सरकार है;
 - (घ) "पोषण" का अर्थ पूरक पोषण है जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन और आवश्यक वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करना है;
 - (ङ) "घर ले जाने वाला राशन" पूरक पोषाहार के प्रयोजन के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध स्टैपल अनाज और बाजरा, दालें और फिलयां, नट और तिलहन का उपयोग करके, यह सुनिश्चित करते हुए बनाया जाना चाहिए कि परिष्कृत चीनी अनुमेय सीमा से अधिक नहीं है। घर ले जाने वाला राशन विभिन्न खाद्य सामग्री (कच्चा राशन नहीं) के प्रसंस्कृत मिश्रण के रूप में होना चाहिए, जो बच्चों या गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं द्वारा सेवन किए जाने पर कैलोरी, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों (कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहार फोलेट, विटामिन ए, विटामिन बी6, बी12 और डी)) की अनुशंसाओं की पूर्ति करता हो और ऐसे राशन का परीक्षण भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में किया जाना चाहिए तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरक पोषण लाभािष्यों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुशंसित या निर्दिष्ट मानदंड कायम रखे जाते हैं। घर ले जाने वाले राशन के रूप में कच्चे राशन की अनुमित नहीं है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत उल्लिखित घर ले जाने वाले राशन को 'कच्चा राशन' के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए;-
- (2) यहां प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में परिभाषित नहीं, किंतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 में परिभाषित हैं, के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उन्हें उन अधिनियमों में दिए गए हैं।
- 4. पोषाहार मानक:- लाभार्थियों को आपूर्ति किए जाने वाले पोषाहार के विस्तृत मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होंगे।
- 5. पोषण की खरीद और गुणवत्ता:- (1) राज्य या संघ शासित क्षेत्र को खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 और सतर्कता दिशानिर्देशों और अन्य मानदंडों के अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खरीदा गया घर ले जाने वाला राशन भारत सरकार द्वारा निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुरूप है।
 - (2) राज्य या संघ शासित क्षेत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि खरीदे गए पूरक पोषाहार मदों की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा मानदंडों के साथ ही पोषक तत्वों की संरचना के अनुसार है। पूरक पोषण को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए तािक प्रति सेवा लगातार गुणवत्ता और पोषक मूल्य सुनिश्चित किया जा सके और नमूना परीक्षण की आवर्तिता प्रत्येक वर्ष की तिमाही में प्रति परियोजना एक बार होगी।

- (3) घर ले जाने वाले राशन का परीक्षण भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के स्वामित्व की या पंजीकृत या पैनलबद्ध और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यताप्राप्त परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला से किया जाएगा और आंगनवाड़ी सेवा के पदाधिकारियों द्वारा स्टॉक प्राप्त करने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र या ब्लॉक स्तर पर यादृच्छिक परीक्षण किया जाना चाहिए। गर्म पके हुए भोजन के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह उचित किचन शेड में तैयार किया गया हो जिसमें पर्याप्त स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल हो ताकि स्वास्थ्यकर स्थिति बनाए रखी जा सके।
- (4) राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में अंतिम लाभार्थी तक निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, जो खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भोजन के निर्माण, भंडारण और वितरण में संलग्न शामिल संस्थाओं के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की पंजीकरण-लाइसेंस प्रक्रिया का अनुपालन करती हो।
- (5) राज्य या संघ शासित क्षेत्र राज्य स्तरीय संचालन समिति के माध्यम से विभिन्न विभागों की गतिविधियों का समन्वय करेंगे ताकि पोषण से संबंधित विभिन्न स्कीमों या कार्यक्रमों के बीच प्रभावी अभिसरण सुनिश्चित किया जा सके और पोषण संकेतकों के संबंध में की गई प्रगति की नियमित आधार पर समीक्षा की जा सके।
- (6) राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से और नियमित रूप से पोषण ट्रैकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में डेटा इनपुट करना होगा।
- (7) राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों को समग्र पोषण के लिए आयुष अवधारणाओं को एकीकृत करने के संदर्भ में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है।
- (8) स्कीम के दिशानिर्देश समय-समय पर आवश्यक अपेक्षित बदलावों का समाधान करेंगे और पोषण के साथ सहत्र्यापक होंगे।
- 6. केंद्र सरकार, लाभार्थियों की पोषण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर लागत मानदंडों को संशोधित कर सकती है।
- 7. नियम किसी स्कीम की अवमानना में नहीं:- इन नियमों के प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई किसी भी मौजूदा स्कीम में अभिवृद्धि वाहक होंगे, अवमानना में नहीं, होंगे।

[फा. सं. 22-3/2016-सीडी-III]

कैप्टन प्रभांशु श्रीवास्तव, उप सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2022

G.S.R. 766(E).—WHEREAS vide notification No. G.S.R. 149(E), dated 20th February, 2017, the Supplementary Nutrition (under the Integrated Child Development Services Scheme) Rules, 2017 were notified by the Government of India, Ministry of Women and Child Development with a view to provide nutritional standards to pregnant women and lactating mothers under the provisions of the National Food Security Act, 2013;

AND WHEREAS Streamlined Guidelines on quality assurance were framed by the Government of India, Ministry of Women and Child Development, vide its order dated 13th January, 2021, to ensure transparency in procurement, integration of AYUSH concepts and data management and monitoring through

"Poshan Tracker" for transparency, efficiency and accountability in delivery of supplementary nutrition;

AND WHEREAS in the light of the aforesaid guidelines, the Government of India, Ministry of Women and Child Development, vide its order dated 28th June, 2021 had rescinded the rules referred to in the first paragraph;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 39 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), except as respects things done or omitted to be done before such rescission, the Central Government in consultation with the State Governments and Union Territory Administrations, hereby makes the following rules to regulate the entitlements specified under the provisions of the said Act for every pregnant woman and lactating mother, till six months after child birth and every child in the age group of six months to six years, namely:-

- 1. **Short title and commencement** (1) These rules may be called the Integrated Nutrition Support Programme Saksham Anganwadi and Poshan (2.0), Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Application:-** These rules shall apply to every pregnant woman and lactating mother till six months after child birth and every child in the age group of six months to six years (including those suffering from malnutrition) for three hundred days in a year, as per the nutritional standards specified in Schedule II to the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013).
- 3. **Definitions:-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Act" means the National Food Security Act, 2013;
 - (b) "intended beneficiaries" means those beneficiaries who are registered at an Anganwadi Centre with Aadhar identification to receive Supplementary Nutrition. Aadhar details of child beneficiaries are not mandatory and in case the child does not have Aadhar, the benefits of the program shall be delivered using the Aadhar identification of the parent or guardian;
 - (c) "Central Government" means the Government of India
 - (d) "nutrition" means supplementary nutrition which aims at providing quality protein and essential macro and micro-nutrients;
 - (e) "Take Home Ration" for the purpose of Supplementary Nutrition should be made using locally available staple cereals and millets, pulses and legumes, nuts and oilseeds, ensuring that refined sugar does not exceed permissible limits. Take Home Ration should be in the form of a processed mixture of various food ingredients (not raw ration), which when consumed by a child or Pregnant Woman and Lactating Mother meets the recommendation for calories, proteins and micro nutrients (Calcium, Zinc, Iron, Dietary Folate, Vitamin A, Vitamins B6, B12 and D) and such Ration should be tested in Food Safety and Standards Authority of India approved laboratories to ensure that the norms of macro and micro nutrients recommended or benchmarked for the different categories of Supplementary Nutrition beneficiaries are maintained. Raw Ration as Take-Home Ration is not permissible and the Take-Home-Ration as mentioned under National Food Security Act, 2013 shall not be misconstrued as 'raw ration';-
- (2) The words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the National Food Security Act, 2013 and the Food Safety Standards Act, 2006 shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.
- **4. Nutritional Standards:** The detailed standards of nutrition to be supplied to the beneficiaries would be as per the provisions of the Act.
- **5. Procurement and Quality of Nutrition:** (1) The State or Union Territory must introduce transparent process for procurement as per General Financial Rules, 2017 and Vigilance Guidelines and other norms issued from time to time by the Government of India and ensure that Take-Home Ration procured conforms to nutritional norms set by the Government of India.
- (2) The States or Union Territories shall ensure that the quality of Supplementary Nutrition items procured is as per the food safety norms as well as nutrient composition. Supplementary Nutrition must conform to prescribed standards as laid down under the Food Safety and Standards Act, 2006 and regulations made thereunder to ensure consistent quality and nutritive value per serving and the periodicity of sample testing shall be once in a quarter of annual year, per project.
- (3) Take-Home Ration shall be tested from Food Safety and Standards Authority of India owned or registered or empanelled and National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory and random testing must be conducted by Anganwadi Services functionaries after receipt of stock at the Anganwadi Centre or at the Block level. Provided that in case of Hot

- Cooked Meal, it should be ensured that it is prepared in proper kitchen sheds having adequate sanitation and safe drinking water so as to maintain hygienic conditions.
- (4) Supply chain process in the States or Union Territories must be made transparent for functionaries to ensure uninterrupted supply to the last mile, which are compliant with Food Safety and Standards Authority of India registration-licensing process for entities involved in manufacture, storage and distribution of food to ensure food safety and hygiene.
- (5) The States or Union Territories shall co-ordinate the activities of various departments through a State Level Steering Committee to ensure effective convergence between various schemes or programs having bearing on nutrition and review the progress made regarding Nutritional Indicators on regular basis.
- (6) The States or Union Territories shall mandatorily and regularly input data into the Poshan Tracker Information and Communication Technology application.
- (7) The States or Union Territories are required to adhere to Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 Scheme guidelines with reference to integrating AYUSH concepts for holistic nourishment.
- (8) The Scheme guidelines shall address the required changes warranted from time to time and shall be coextensive with the nutrition dynamics.
- 6. The Central Government may, taking into consideration the nutritional requirements of beneficiaries, modify the cost norms from time to time.
- 7. **Rules not in derogation of any Scheme:-** The provisions of these rules shall be in addition to and not in derogation to any existing Scheme implemented by the Central Government.

[F. No. 22-3/2016-CD.III]

CAPT. PRABHANSHU SRIVASTAV, Dy. Secy.